15

संख्या 14034/33/2004-रा0भा0(प्रशि0)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली - 110003
दिनांकः 13 मई, 2004

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- हिन्दी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा टंकण, आशुलिपि परीक्षाओं के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने की फीस में वृद्धि के संबंध में ।

हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित की जाने वाली हिन्दी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि की परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र खो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर जारी किए जाने वाले डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के लिए ली जाने वाली फीस में वृद्धि किए जाने का मामला कुछ समय से विचाराधीन रहा है । अब भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस शुल्क को रू.2/- से बढ़ाकर रू.25/- कर दिया जाए । यह फीस उप निदेशक(परीक्षा), हिन्दी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को देय रू. 25/- के पोस्टल आर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा दी जायेगी जो कि डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदन पत्र के साथ भेजा जाना होगा ।

2. उपर्युक्त वृद्धि इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी ।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त-II , गृह मंत्रालय की टिप्पणी संख्या-4639/ए.एस.एण्ड एफ.ए.(एच), दिनांक 19 मार्च, 2004 के तहत दी गई सहमति से जारी किया जा रहा है ।

एस. रमणन

(एस. रमणन्)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि ।

प्रतिलिपिः-

1. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
2. उप निदेशक(परीक्षा), हिन्दी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
3. वेतन तथा लेखा अधिकारी(सचिवालय), गृह मंत्रालय, सी-1 हटमेंट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली ।
4. सभी संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना एवं केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान ।
5. सभी सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना एवं केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान ।
6. वित्त-IIअनुभाग, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उनकी उपरोक्त टिप्पणी के संदर्भ में।
7. गार्ड फाईल

24